अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

लादू बनाम संतोक वगैरह
किस्म मुकदमा –225 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955
प्रकरण संख्या : 2024/229 (अजमेर)

04/10/2024

	श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट	
04.10.2024	लादू बनाम संतोक वगैरह (2024/229) यह अपील श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2024 में पारित आदेश दिनांक 17.09.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किसी भी तरह का न्यायोचित स्थगन आदेश पारित नहीं कर केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया है, जिसकी आड में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के मौका स्थिति को परिवर्तित करने पर आमादा है एवं कुएं का निर्माण करने पर उतारू है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार कुएं का निर्माण नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 17.09.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 17.09.2024 की आदेशिका नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। सामान्यत परिस्थितयों में अपील इस स्तर पर पोषणीय नहीं है फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है। **अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	